

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में सिम्प पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विस्तृत मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

फा. आ. 5(अ).—केंद्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) के आदेश सं. फा. आ. 840 (अ). [सं. 2/प्रशासन (6)/76 सफेमा] तारीख 30 दिसम्बर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, स्तम्भ (1) में "श्री टी. ए. बालकृष्णन" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "श्री एस. एन. सेन" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. 9/फा. सं. प्रशा. (17)/78 सफामा]

एन. पी. भट्ट, ज्य. सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 1st January, 1979

S.O. 5(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) the Central Government hereby makes the following further amendment in the order of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. S.O. 340(E) [No. 2/Admn.(6)/76-Safema] dated the 30th December, 1976, namely :—

In the Table below the said notification, in column 1, for the words and letters "Shri T. A. Balakrishnan" the words and letters "Shri S. N. Sen" shall be substituted.

[No. 9/F. No. Admn. (17)/78-Safema]

N. P. BHAT, Dy. Secy.